

भाग - V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है।)

1. राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग -II या भाग- III या भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणी पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए।

तिथि

हस्ताक्षर:.....

स्थान: उत्तरकाशी।

नाम और पदनाम